राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(147)नविवि/3/2008पार्ट

जयपुर, दिनांकः 14 OCT 2022

आदेश

भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.08.2022 को जारी किये गये "भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम–2022" के अनुरूप 5G सेवा हेतु डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबत आवश्यक प्रावधानों को विभागीय समसंख्यक गाइड लाइन दिनांक 06.02.2017 में जोड़े जाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2022 को आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार Restoration Charges दरें एकीकृत (Uniform)रूप निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1.	श्री अशोक चौधरी, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयपुर।	संयोजक
2.	श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।	सदस्य
3.	श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री दिलजीत सिंह, प्रतिनिधि रिलायंस जियो एवं समस्त टेलीकॉम सेवा प्रदाता कम्पनी	सदस्य

इस समिति द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. रूल्स, बी.एस.आर. एवं अन्य मानकों का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार की सड़कों हेतु Restoration Charges की दरें प्रस्तावित करेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. श्री अशोक चौधरी, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयपुर।
6. श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. श्री दिलजीत सिंह, प्रतिनिधि रिलायंस जियो एवं समस्त टेलीकॉम सेवा प्रदाता कम्पनी
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

Scanned with CamScanner